

**2018 का विधेयक संख्यांक 233**

[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 6) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

## **विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018**

वित्तीय वर्ष 2018-19 की सेवाओं के लिए भारत की संचित  
निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय  
और विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 2018  
है ।

संक्षिप्त नाम ।

5

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से  
अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग आठ खरब, उनसठ अरब, अड़तालीस करोड़,  
छियासी लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के  
स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संदाय किए  
जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।

वित्तीय वर्ष 2018-19  
के लिए भारत की  
संचित निधि में से  
8,59,48,86,00,000  
रुपए का निकाला  
जाना ।

10

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित  
किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त  
सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

विनियोग ।

**अनुसूची**  
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1 अनुदान का संख्यांक	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹	₹	₹
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 3,00,000	..	3,00,000
		पूंजी 1,00,000	..	1,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 1,52,73,00,000	..	1,52,73,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	पूंजी 1,00,000	..	1,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी 2,00,000	9,50,00,000	9,52,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
8	भेषजीय विभाग	पूंजी 7,00,00,000	..	7,00,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 7,98,34,00,000	..	7,98,34,00,000
		पूंजी 22,98,80,00,000	..	22,98,80,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 1,43,60,00,000	..	1,43,60,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व ..	2,29,00,000	2,29,00,000
		पूंजी 20,00,00,000	..	20,00,00,000
14	दूरसंचार विभाग	पूंजी 7,51,00,00,000	..	7,51,00,00,000
15	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 9,20,10,00,000	..	9,20,10,00,000
		पूंजी 3,00,000	..	3,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व 30,82,00,000	..	30,82,00,000
		पूंजी 19,00,00,000	..	19,00,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
		पूंजी 26,33,00,000	..	26,33,00,000
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व 14,00,00,00,000	..	14,00,00,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व 1,00,36,00,000	..	1,00,36,00,000

1	2	3		
		रु०	रु०	रु०
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	2,00,000
25	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	3,00,000
		पूंजी	1,00,000	1,00,000
26	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	1,74,83,00,000	1,74,83,00,000
		पूंजी	6,17,00,000	6,17,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	38,75,00,000	38,75,00,000
		पूंजी	1,00,000	49,00,000
28	विदेश कार्य मंत्रालय	राजस्व	10,12,00,00,000	10,12,00,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	2,99,00,000	2,99,00,000
		पूंजी	1,34,78,37,00,000	1,34,78,37,00,000
30	व्यय विभाग	राजस्व	1,00,000	1,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	3,00,000	10,00,000
		पूंजी	4,10,00,02,00,000	4,10,00,02,00,000
32	विनिधान और लोक आस्ति प्रबंध विभाग (डीआईपीएएम)	राजस्व	75,00,00,000	75,00,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व	1,00,000	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	1,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
		पूंजी	2,00,000	2,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,00,000	1,00,000
		पूंजी	1,00,000	1,00,000
36	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	1,75,13,00,000	6,76,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	1,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	10,31,07,00,000	10,31,07,00,000
		पूंजी	40,01,00,000	40,01,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	1,00,000	1,00,000
		पूंजी	1,50,89,00,000	1,50,89,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	1,30,94,00,000	6,33,00,000
		पूंजी	1,00,000	1,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	1,00,000	1,00,000

1	2	3	
		₹0	₹0
48	पुलिस	राजस्व	15,35,35,00,000
		पूँजी	1,00,000
52	दमन और दीव	पूँजी	12,03,00,000
53	लक्षद्वीप	राजस्व	1,00,000
		पूँजी	1,00,000
54	दिल्ली को अंतरण	पूँजी	77,41,00,000
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,60,00,000
		पूँजी	1,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	1,13,78,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	4,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	10,38,29,00,000
61	विधि और न्याय	राजस्व	3,00,000
		पूँजी	5,35,00,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	2,00,000
		पूँजी	8,49,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व	95,00,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	2,00,000
		पूँजी	8,18,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,00,000
68	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व	2,00,000
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	12,00,000
		पूँजी	25,00,00,000
	<b>भारित--केंद्रीय सतर्कता आयोग</b>	राजस्व	..
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	2,00,000
		पूँजी	2,50,18,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व	1,25,96,00,000
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	7,13,73,00,000
		पूँजी	1,00,000

1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
76	लोक सभा	राजस्व	..	12,00,000	12,00,000
78	उपराष्ट्रपति सचिवालय	राजस्व	90,00,000	..	90,00,000
80	रेल मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	85,65,39,00,000	..	85,65,39,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	60,84,13,00,000	..	60,84,13,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	1,25,01,00,000	..	1,25,01,00,000
88	कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	22,63,27,00,000	..	22,63,27,00,000
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	69,62,00,000	..	69,62,00,000
93	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	1,05,75,00,000	..	1,05,75,00,000
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
95	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,70,00,000	..	1,70,00,000
97	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
98	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	58,65,00,000	..	58,65,00,000
		पूँजी	18,12,00,000	..	18,12,00,000
99	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	राजस्व	21,00,000	..	21,00,000
<b>योग</b>		<b>:</b>	<b>8,59,17,88,00,000</b>	<b>30,98,00,000</b>	<b>8,59,48,86,00,000</b>

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो भारत की संचित निधि पर भारत अनुपूरक व्यय और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है।

अरुण जेटली